

FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, मुकाम जयपुर

रीना देवी बनाम अनोप कंवर व अन्य

किस्म मुकदमा:-अपील धारा 75 अन्तर्गत भू-राजस्व अधिनियम 1956 संख्या 105/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.08.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट श्री हरलाल सिंह एड. उपस्थित। इनकी बहस एडमीशन पर सुनी गई। अपील में सारभूत कानूनी बिन्दु निहित होने से विचारार्थ ग्रहण की जाती है। दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>तत्पश्चात अधिवक्ता अपीलांट की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गई। प्रार्थना पत्र स्थगन अन्तरिम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि अग्रिम आदेश तक विवादित आराजी की राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत रखी जाने के आदेश दिये जाते हैं। स्थगन आदेश की सूचना अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी व तहत रिकार्ड तलब कर पत्रावली दिनांक 14.09.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(डॉ. गिरीश पाराशर) अति. संभागीय आयुक्त जयपुर.</p> <p>6/9/2022 अधिवक्ता अपीलांट एवं स्वयं अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत पत्रावली तलबी करने एवं प्रा.पत्र बाबत अपील विद्धो करने प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज तलब हुई। वकील अपीलार्थी श्री हरलाल सिंह ने प्रार्थना पत्र विद्धो करने के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में राजीनामा हो गया है। इसलिए प्रार्थीया उपरोक्त उनवानी अपील को आगे नहीं चलाना चाहती है तथा पत्रावली को आज ही नियत कर निस्तारण करवाना चाहती है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त उनवानी अपील को आज ही विद्धो किये जाने की अनुमति प्रदान कर अपील को इसी स्तर पर निस्तारित कर खारिज करने की कृपा करें।</p> <p>हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से प्रार्थीया स्वयं ही अपनी अपील आगे नहीं चलाना चाहती हैं। ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। वकील अपीलांट द्वारा प्रार्थीया की पहचान तस्दीक किया गया।</p> <p>अतः अपीलार्थी का प्रा. पत्र विद्धो स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीया स्वयं अपील विद्धो किये जाने के कारण अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर पूर्ति लेख भण्डार हो।</p>	<p>6-9-22</p> <p>gaur</p> <p>Harman</p> <p>6/9/22</p>

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर